उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र सं0–सी– 30 /वसूली/2023–24 दिनांक– 30/09/2023

1–समस्त वरिष्ठ/शाखा/प्रभारी प्रबन्धक,

2–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,

उत्तर प्रदेश।

विषयः–"मृतक ऋणी सदस्यों की ऋण मोचन योजना 2023" लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

बैंक के ऐसे ऋणी सदस्य जिनके द्वारा बैंक से लिए गये ऋण की पूर्ण अदायगी किये बिना मृत्यु हो गयी हो, ऐसे मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसानों/हितधारकों को ऋण को अदा करने हेतु राहत पहुँचाने एवं बैंक की ऐसी धनराशि जो निरन्तर प्रयासों के उपरान्त जमा न हो पायी हो, ऐसी धनराशि की वसूली कर बैंक की वित्तीय तरलता को बढाये जाने के उद्देश्य से बैंक प्रबन्ध समिति की बैठक दि0 04.09.2023 में पारित प्रस्ताव सं0–03 के क्रम में आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता के पत्रांक 2161/अधि–1 दि0 06.09.2023 द्वारा बैंक में "**मृतक ऋणी सदस्यों की ऋण मोचन योजना–2023**" लागू किये जाने का अनुरोध उ0प्र0 शासन से किया गया।

उपर्युक्त के क्रम में उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–572/49–1–23–6(32)/13टीसी।। सहकारिता अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 29 सितम्बर 2023 द्वारा बैंक में "**मृतक ऋणी सदस्यों की ऋण मोचन योजना 2023**" निर्गत की गयी है जिसे आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ0प्र0 के पत्रॉक–2649/अधि–01 लखनऊ दिनांक 29 सितम्बर 2023 द्वारा कतिपय प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन बैंक में लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है जो निम्नवत् है :–

"मृतक ऋणी सदस्यों की ऋण मोचन योजना–2023"

उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 के ऐसे ऋणी सदस्य जिनके द्वारा बैंक से लिए गये ऋण की पूर्ण अदायगी किये बिना मृत्यु हो गयी हो पर ही लागू होगी। योजना का उद्देश्य मृतक ऋणी के वारिसानों/हितधारकों को मात्र ब्याज में छूट प्रदान कर बकाया ऋण धनराशि/मूलधन को अदा करने हेतु राहत पहुँचाना एवं बैंक की ऐसी धनराशि जो निरन्तर प्रयासों के उपरान्त जमा न हो पायी हो उसको बैंक में वापस प्राप्त कर बैंक की वित्तीय तरलता को बढाना है। इस योजना में बैंक के मृतक ऋणी सदस्यों को श्रेणीवार वर्गीकृत करते हुये लाभ अनुमन्य कराये जाने का निम्नवत प्राविधान किया गया है :–

योजना की अवधि–

यह योजना शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगी तथा दिनांक 31.12.2023 तक के लिए लागू होगी।

पात्रताः–

(1) ऐसे मृतक ऋणी सदस्य, जिन्होंने दिनांक 31.03.2023 तक, अथवा उससे पूर्व ऋण प्राप्त किया है एवं दिनांक 31.03.2023 को अथवा उसके पूर्व मृत्यु हो गयी है, को इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर लाभान्वित किये जाने की व्यवस्था है।

(2) दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रोजेक्ट/उद्देश्य/इकाई हेतु ऋण लिया गया हो तो मृतक सदस्य को ही योजना का लाभ देय होगा।

(3) ऐसे ऋण जिनमें सहभागीदार के साथ ऋण प्राप्त किया गया है तो मुख्य प्रार्थी/ऋणी सदस्य की मृत्यु की दशा में ही इस योजना का लाभ दिया जायेगा।

वर्गीकरण:–

बैंक के मृतक ऋणी सदस्य को निम्नानुसार श्रेणीवार वर्गीकृत करते हुये योजना का लाभ अनुमन्य किया जाये :–

श्रेणी–1:–

दिनांक 31 मार्च, 2003 तक अथवा उक्त तिथि से पूर्व वितरित ऋण प्रकरणों में मृतक ऋणी सदस्य के वारिसानों/हितधारकों को केवल अवशेष मूलधन की पूर्ण धनराशि जमा कर खाता बन्द कर सकेगें, उन पर समझौते की तिथि तक देय समस्त (शत–प्रतिशत) ब्याज की छूट प्रदान की जायेगी।

श्रेणी–2:–

दिनांक 1 अप्रैल, 2003 से दिनांक 31 मार्च, 2013 तक ऋण लेने वाले मृतक ऋणी सदस्य के प्रकरणों में निम्नानुसार छूट का लाभ अनुमन्य किया जायेगा :–

(क) मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसानों/हितधारकों पर अवशेष मूलधन की पूर्ण धनराशि शत–प्रतिशत जमा की जायेगी।

(ख) योजनान्तर्गत समझौते की तिथि तक उस पर देय समस्त ब्याज में 75 (पचहत्तर) प्रतिशत की छूट अनुमन्य की जायेगी तथा अवशेष 25 (पच्चीस) प्रतिशत ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी।

श्रेणी–3:–

दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से दिनांक 31 मार्च, 2023 तक ऋण लेने वाले मृतक ऋणी सदस्य के प्रकरणों में निम्नानुसार ब्याज में छूट का लाभ अनुमन्य किया जायेगा :–

(क) मृतक ऋणी सदस्य के वारिसानों/हितधारकों पर अवशेष मूलधन की पूर्ण धनराशि का शत–प्रतिशत जमा किया जायेगा।

(ख) योजनान्तर्गत समझौते की तिथि तक उस पर देय समस्त ब्याज में 50 (पचास) प्रतिशत की छूट अनुमन्य की जायेगी तथा अवशेष 50 (पचास) प्रतिशत ब्याज की धनराशि जमा की जायेगी।

योजनान्तर्गत भुगतान के नियम एवं प्रतिबन्ध :–

(1) योजना की पात्रता हेतु निर्धारित सक्षम स्तर से निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र मान्य होगा, अपरिहार्य परिस्थितियों में ग्राम प्रधान/पंचायत सचिव द्वारा जारी किया गया एवं शाखा के फील्ड स्टाफ (आवंटित क्षेत्र के अनुसार) से प्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र को सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक द्वारा अपने स्तर से पुष्टित कर मान्यता प्रदान की जायेगी। मृत्यु प्रमाण–पत्र की सत्यता एवं शुद्धता की पुष्टि करने का पूर्ण उत्तर दायित्व सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक का होगा।

(2) उक्तानुसार लागू की जाने वाली योजना का लाभ बकाया किश्तों एवं आने वाली समस्त किश्तों की सम्पूर्ण अदायगी पर ही देय होगा। योजना से आच्छादित मृतक पात्र ऋणी सदस्य के वारिसानों/हितधारकों द्वारा अपनी सहमति देकर समझौता किया जा सकता है।

(3) योजना की श्रेणीवार एक पात्रता सूची शाखा स्तर पर तैयार की जायेगी। उक्त सूची की एक प्रति जिला स्तरीय प्रबन्धक को प्रेषित की जायेगी, तत्पश्चात जिला स्तरीय प्रबन्धक द्वारा संकलित सूची क्षेत्रीय प्रबन्धक को प्रेषित की जायेगी। उक्त पात्रता सूची में सम्मिलित मृतक ऋणी सदस्य एवं उनके वारिसानों/हितधारकों के नाम व उसमें अंकित प्रविष्टियों की सत्यता व शुद्धता की पुष्टि करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक का होगा।

(4) शाखा द्वारा साप्ताहिक रूप से सम्पन्न समझौतों की सूची क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा मण्डल पर उपलब्ध सूची से मिलान किया जायेगा, और यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो शाखा स्तर से उसका समाधान कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व अनिवार्य रूप से क्षेत्रीय

प्रबन्धक का होगा। विसंगति का समाधान होने के उपरान्त सम्बन्धित को योजना का लाभ प्रदान किया जाये।

(5) पात्र हितधारकों/वारिसानों से किये गये समझौतों की संकलित सूचना पाक्षिक रूप से क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा मुख्यालय प्रेषित की जायेगी। उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, द्वारा समझौते का निर्धारित प्रारूप उपलब्ध कराया गया है, जो शासनादेश के साथ संलग्न कर निर्गत किया जा रहा है।

(6) पात्रता सूची में ऐसे प्रकरण, जो इस योजना के तहत तैयार की गयी सूची में कतिपय कारणोंवश सम्मिलित होने से छूट गये हैं, की पुष्टि पर्याप्त प्रमाणित साक्ष्यों के आधार पर करते हुए, उन्हें क्षेत्रीय प्रबन्धक की अनुमति से सम्मिलित किया जा सकेगा और इसकी सूचना तत्काल बैंक मुख्यालय को प्रेषित की जायेगी।

(7) योजना में समझौता करने वाले मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसानों/हितधारकों से प्राप्त प्रार्थना–पत्रों का गहन परीक्षण करने के उपरान्त उसकी स्वीकृति संबंधित प्रभारी/शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा की जायेगी। संबंधित प्रभारी/शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक द्वारा मृतक ऋणीं सदस्यों के वारिसानों/हितधारकों को कुल देय ब्याज की छूट का विवरण तैयार कर सम्बन्धित शाखा पर सुरक्षित रखा जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रभारी/शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक का होगा।

(8) योजनान्तर्गत मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसानों/हितधारकों को दी जाने वाली ब्याज में छूट की धनराशि को संबंधित शाखा के लाभ–हानि खाते में प्रभारित **(Account for)** किया जायेगा।

(9) मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसानों/हितधारकों द्वारा एक बार में सम्पूर्ण देय धनराशि, जो भी प्रकरण में लागू हो जमा कर ऋण खाता बन्द करने पर ही योजना के लाभ की सुविधा प्राप्त होगी।

(10) योजना के सम्बन्ध में व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम से मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसानों/हितधारकों को योजना की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान किये जाने का उत्तरदायित्व शाखा के प्रभारी/शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक एवं सम्बन्धित क्षेत्र के फील्ड स्टाफ का होगा।

(11) उक्त योजनान्तर्गत वसूल की जाने वाली धनराशि में नियमानुसार संग्रह शुल्क भी सम्मिलित किया जाय तथा उसे नियमानुसार सम्बन्धित निधि/खाते में जमा किया जाय और इसके लिए सम्बन्धित प्रभारी/शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें।

अतः उक्त योजना में शासन स्तर से प्राप्त दिशा–निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा इस योजना को प्रभावी ढ़ग से लागू करने एवं समस्त ऋण केसों की शत–प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्न निर्देश भी दिये जाते हैं :–

1– योजनान्तर्गत मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसानों/हितधारकों को दी जाने वाली ब्याज की छूट से लिखित एवं व्यक्तिगत सम्पर्क करके अवगत कराया जाय तथा इसका व्यापक प्रचार–प्रसार भी करें। ऐसे बकायेदारों के वारिसानो/हितधारकों से किये गये सम्पर्क का विवरण/नोटिस प्राप्ति का साक्ष्य शाखा पर सुरक्षित रखा जाय।

2– योजना की नियमित प्रगति की समीक्षा मुख्यालय स्तर पर की जायेगी। पाक्षिक रूप से निर्धारित प्रारूप पर सूचना क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा संकलित कर वसूली अनुभाग की ई0मेल0आई0डी0 **upsgvbrec@gmail.com** पर प्रेषित की जायेगी। श्रेणीवार आच्छादन एवं जमा धनराशि का प्रारूप संलग्न है। (प्रारूप–स)

3– मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसानों/हितधारकों से वसूली के प्रभावी अनुश्रवण हेतु मुख्यालय स्तर पर मानीटरिंग सेल को प्रतिदिन योजना की प्रगति से संलग्न प्रारूप 'द' पर अवगत कराया जाये।

4– योजना के कियान्वयन में किसी प्रकार का विचलन/अनियमितता प्रकाश में आने पर सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–पात्रता सूची का प्रारूप–अ,
समझौते हेतु सहमति प्रारूप–ब'
पाक्षिक सूचना का प्रारूप–'स'
दैनिक प्रगति का प्रारूप– 'द'
पम्पलेट का प्रारूप–च।

(शशि रंजन कुमार राव)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रबन्धक(आईटीसेल), उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0 को बैंक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
2. समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0 सह0 ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0/प्रशि0 केन्द्र लखनऊ।
3. समस्त जनपदीय सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण् विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ।
8. आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0।
9. प्रमुख सचिव सहकारिता, उ0प्र0 शासन।
10. निजी सचिव, मा0 सभापति, मा0 सभापति महोदय के अवलोकनार्थ।

प्रबन्ध निदेशक

प्रारूप 'अ'

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, शाखा-.....जनपद.....।

श्रेणी–01

(धन0 लाख रू0 में)

क्र0 सं0	ऋणी सदस्य का नाम	पिता का नाम	पता	खाता सं0	मो0नं0	उद्देश्य	वितरित ऋण		जमा धनराशि			बकाया होने की तिथि	बकाया धनराशि			वारिसानों/ हितधारकों के नाम	अन्य विवरण
							तिथि	धनराशि	मूलधन	ब्याज	योग		अवरोध मूलधन	अवरोध समस्त ब्याज	कुल योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
योग																	

प्रारूप-'ब'

:समझौते हेतु सहमति पत्र:
(समस्त श्रेणी के लिए)

शाखा प्रबन्धक
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
शाखा--.....
जनपद--.....

मैंने बैंक द्वारा लागू की गयी " मृतक ऋणी सदस्यों की ऋण मोचन योजना–2023" का भली--भॉति अध्ययन कर लिया है एवं योजना में दी गयी समस्त शर्तें स्वीकार्य हैं। अतः मैं/हम बैंक द्वारा घोषित " मृतक ऋणी सदस्यों की ऋण मोचन योजना–2023" में अपनी सम्पूर्ण बकाया धनराशि एक मुश्त जमा कर ऋण खाता बन्द करने की अपनी सहमति प्रदान करते है।

कृपया मुझे नियमानुसार अनुमन्य छूट प्रदान करने की कृपा करें।

दिनॉंक:.....

प्रार्थी

(ह0)

पूरा नाम–
पिता कानाम–
पूरा पता–
खाता सं0–

(क) कुल देय धनराशि:– रू0 .....

(ख) योजनान्तर्गत छूट की कुल धनराशि: रू0 .....

(ग) समझौता के अन्तर्गत जमा की जाने वाली
कुल देय धनराशि:– रू0 .....

स्वीकृति

(शाखा प्रबन्धक)

प्रा०५-स

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, शाखा–................................जनपद–...................................मण्डल

मृतक बकायेदारों की वसूली प्रगति का साप्ताहिक विवरण पत्र–

(धन0 लाख रू0 में)

क्र0 सं0	मण्डल का नाम	श्रेणी–1 (दि0 31.03.2003 तक तथा इससे पूर्व लिया गया ऋण)					श्रेणी–2 (दि0 01.04.2003 31.03.2013 तक लिया गया ऋण)					श्रेणी–3 (दि0 01.04.2013 31.03.2023 तक लिया गया ऋण)					कुल तीनों श्रेणियों का योग				
		मृतक ऋणी सदस्यों की संख्या	कुल आच्छादित धन0 का विवरण				मृतक ऋणी सदस्यों की संख्या	कुल आच्छादित धन0 का विवरण				मृतक ऋणी सदस्यों की संख्या	कुल आच्छादित धन0 का विवरण				मृतक ऋणी सदस्यों की संख्या	कुल आच्छादित धन			
			कुल मूलधन	समस्त देय ब्याज	कुल देय धन0	दी जाने वाली छूट की धन0		कुल मूलधन	समस्त देय ब्याज	कुल देय धन0	दी जाने वाली छूट की धन0		कुल मूलधन	समस्त देय ब्याज	कुल देय धन0	दी जाने वाली छूट की धन0		कुल मूलधन	समस्त देय ब्याज	कुल देय धन0	दी जाने वाली छूट की धन0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	योग																				

प्रारूप–स

(धन0 लाख रू0 में)

मृतक बकायेदारों की वसूली प्रगति का विवरण पत्र–

क0 सं0	मण्डल का नाम	श्रेणी–1 में जमा धनराशि						श्रेणी–2 में जमा धनराशि						श्रेणी–3 में जमा धनराशि						कुल तीनो श्रेणियों में जमा धनराशि का योग					
		समझौतो की सं0	देय मूलधन	देय ब्याज	कुल देय धन0	कुल जमा धन0	छूट की धन0	समझौतों की सं0	देय मूलधन	देय ब्याज	कुल देय धन0	कुल जमा धन0	छूट की धन0	समझौतों की सं0	देय मूलधन	देय ब्याज	कुल देय धन0	कुल जमा धन0	छूट की धन0	समझौतों की सं0	देय मूलधन	देय ब्याज	कुल देय धन0	कुल जमा धन0	छूट की धन0
1	2	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

प्रारूप–द

मृतक ऋणी सदस्यों से दैनिक वसूली विवरण –

(धन0 लाख रू0 में)

क0 सं0	मंडल का नाम	श्रेणी–1			श्रेणी–2				श्रेणी–3				योग			
		समझौते की सं0	अवशेष जमा मूलधन	छूट की धन0	समझौते की सं0	अवशेष जमा मूलधन	जमा ब्याज 25प्रति0	ब्याज में छूट 75 प्रति0	समझौते की सं0	अवशेष जमा मूलधन	जमा ब्याज 50प्रति0	ब्याज में छूट 50 प्रति0	समझौते की सं0	अवशेष जमा मूलधन	जमा ब्याज	कुल प्रदान की गयी छूट की धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	योग															

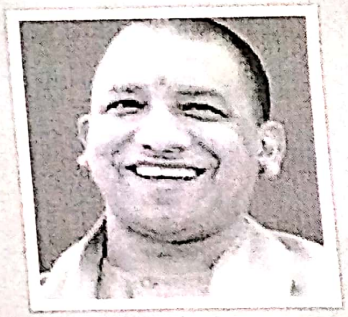

मा0मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश

उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०

भरोसा किसान का 1959 से...

मा0सहकारिता मंत्री
उत्तर प्रदेश

उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,

में मृतक ऋणी किसानों के वारिसानों/हितधारकों हेतु

मा0 मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में

"मृतक ऋण मोचन योजना–2023" लागू

श्रेणी–01 दिनांक 31 मार्च, 2003 तक तथा इससे पूर्व लिया गया ऋण
(ब्याज में 100% की छूट)

श्रेणी–02 दिनांक 1 अप्रैल, 2003 से दिनांक 31 मार्च, 2013 तक ऋण
(ब्याज में 75% की छूट)

श्रेणी–03 दिनांक 1 अप्रैल, 2013 से दिनांक 31 मार्च, 2023 तक ऋण
(ब्याज में 50% की छूट)

अधिक जानकारी के लिये नज़दीकी बैंक शाखा से सम्पर्क करें।

वेबसाइटः– www.upsgvb.in

सम्पर्क सूत्र– 9151058373